न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/ ऐस्चीट एक्ट/10998/2002/उदयपुर

1. बिन्दू जैन (बांठिया) पत्नि श्री संजय जैन निवासी उदयपुर।
2. श्री फिदा हुसैन पिता श्री अकबर अली बोहरा निवासी अश्वनी बाजार उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा
2. जैन श्वेताम्बर महासभा जरिये अध्यक्ष श्री दीवानसिंह जाति बाफना निवी बडा बाजार, घंटाघर, उदयपुर (राज0)

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुनील पारीक, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता

दिनांक

निर्णय

1– यह अपील राजस्थान राजगामी संपत्ति विनियमन अधिनियम 1956 की धारा 7 के अंतर्गत अति0 जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जती वल्लभ विजय के लावारिस फौत होने की शिकायत दिनांक 19–10–73 को प्राप्त होने पर तहसीलदार गिर्वा ने प्रारम्भिक जांच की व जती वल्लभ विजय को लावारिस फौत होना माना। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला दर्ज किया गया। विपक्षी संख्या 2 एंव एक केशरसिंह द्वारा उजरदारियां पेश की गई। केशरसिंह का दौराने कार्यवाही देहावसान हो गया और उसके उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने हेतु नाम कायमी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं

लिये गये। संपूर्ण कार्यवाही कर राजस्थान राजगामी संपत्ति विनियमन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-11-99 द्वारा जती वल्लभ विजय को लावारिस घोषित कर उनकी जायदाद को राजसात किये जाने हेतु पत्रावली जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर को प्रेषित करने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय एंव विधि के विपरित है। इस मामले में जिस संपत्ति के सम्बन्ध में लावारिस की कार्यवाही की गईं, वह जती वल्लभ विजय की संपत्ति का मात्र एक भाग है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी संपत्ति जती वल्लभ विजय की हाथीपोल के बाहर स्थित है, जो जती वल्लभ विजय, केशरसिंह आदि ने बेची है, लेकिन उस संपत्ति को लावारिस कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया और मात्र दो संपत्तियों को ही जती वल्लभ विजय की बता कर कार्यवाही की गई है, इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है तथा इससे अपीलान्ट की संपत्ति भी सम्मिलित हो गई है, जिन्होंने जती वल्लभ विजय एंव उसके पावर आफ एटोर्नी से जमीन खरीदी है। विदित रहे अधीनस्थ न्यायालय ने संपत्ति जती विल्लभ विजय की मानी है और जती वल्लभ विजय को लावारिस करार दिया, इससे एक बात साफ थी कि संपत्ति का मालिक जती वल्लभ विजय था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है और जब संपत्ति जती वल्लभ विजय की थी, तो जती वल्लभ विजय या उनके पावर आफ एटोर्नी या जिनके पक्ष मे वसीयत की गईं या उनके चेले द्वारा अगर संपत्ति विक्रय की गईं है, तो उस संपत्ति को लावारिस करार दिये जाने की आड़ में जप्त सरकार नहीं किया जा सकता है। समय समय पर जती वल्लभ विजय का केशरसिंह व उसकी माता पावर आफ एटोर्नी रहे है। वसीयत भी लिखी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की खरीदशुदा संपत्तिया राजगामी संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती है, जिससे यह आदेश विधिवत आदेश नहीं है व निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो कार्यवाही की, उसका अपीलान्ट को कोई ज्ञान

नहीं था, न कभी किसी ने सूचित किया। अपीलान्टस को अपने पड़ोसी सुभाष मेहता से न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर के यंहा कार्यवाही चलने के बारे में दिनांक 30-6-02 को जानकारी मिली। इस पर दिनांक 1-7-02 को न्यायालय से जानकारी कर प्रार्थना पत्र नकल लेने हेतु पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 6-7-02 को मिली। इस प्रकार तारीख ज्ञान से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस ढंग से विधिवत जो जांच व कार्यवाही की जानी चाहिये थी, वह भी नहीं की गई। स्वरुप सागर के निकट तलीया एंव हाथीपोल वाली संपत्तियों पर 14 व्यक्ति काबिज होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है, लेकिन उनको भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, न उन्हें सुना गया जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है। इस प्रकार यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। जती वल्लभ विजय के जीते जी उनकी देखभाल, सेवा आदि केशरसिंह ने की। केशरसिंह उनका पावर आफ एटोर्नी भी था, इसके अतिरिक्त केशरसिंह जती बल्लभ विजय का चेला भी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के एंव बिना किसी शहादत के केवल रेस्पोंडेन्ट के कथन के आधार पर चेला नहीं मानने का निर्णय किया, वह गलत है। ऐसी स्थिति में जती वल्लभ विजय को लावारिस फौत होना नहीं माना जा सकता और न उसकी संपति को राजगामी घोषित किया जा सकता है। राजगामी संपत्ति घोषित किये जाने में अपीलान्ट बिन्दू जैन (बांठिया) की संपत्ति को शामिल किया गया, जो संपत्ति बिन्दू जैन (बांठिया) ने दिनांक 26-5-97 को मोहन-बाई से खरीदी, इस मोहनबाई को वल्लभ विजय ने दिनांक 1-11-69 को वसीयत कर रखी थी, इसके अतिरिक्त एक संपत्ति फिदा हुसेन व इमदाद से खरीदी, जिन्होंने केशरसिंह से खरीदी, जो दुकान नम्बर 19 है, केशरसिंह ने कांतिलाल से खरीदी, इसी कांतिलाल को केशरसिंह ने जरिये पावर आफ एटोर्नी के कांतिलाल को बेची थी, इस प्रकार यह संपत्ति राजगामी घोषित किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। दुकान नम्बर 21 अपीलान्ट फिदा हुसैन के मालिकाना हक की है, जिसमे अभी नानकराम किरायेदार है। जती वल्लभ विजय की संपत्ति होना अधीनस्थ

न्यायालय ने माना है। इससे यह स्पष्ट है कि जती बल्लभ विजय एक तरह से सांसारिक व्यक्ति थे, जिन्होंने न संसार छोड़ा, न उनकी सिविल मृत्यु हुई, न जती को साधू की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति संपत्ति होल्ड करता है, उसको चेला रखने या गोद लेने का भी पूरा अधिकार है और जती वल्लभ विजय ने केशर सिंह को पंजीकृत गोदनामे के द्वारा गोद लिया है, जो गलत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना की गोद लेने का अधिकार नहीं है, गलत व मिथ्या है। अति0 जिला कलेक्टर ने राजगामी अधिनियम के प्रावधानों का पठन किये बिना जैर अपील निर्णय पारित करने में अपने क्षैत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। अतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह अपील स्वीकार की जाये। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत एआइआर 1957 एससी पेज 882, एआईआर 1978 एससी पेज 597, एआईआर 1967 एससी पेज 1269, आरआरडी 1984 पेज 111, आरआरडी 2000 पेज 184, आरआरडी 2003 पेज 54, आरआरडी 1990 पेज 657, एआईआर 2005 एससी पेज 3799 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

4- विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि श्री वल्लभविजय जैन जती दिनांक 11-10-73 को लावारिस फौत हुए। जैन साधु विवाहित नहीं होते है। स्टेट टाईम में महेन्द्रा सभा श्री दरबार मुल्क मेवाड के मु.नं-61/90 दिनांक 25-9-1933 के निर्णयानुसार श्री वल्लभविजय जती को भी कोई चेला नहीं माना गया । अतः उनके कोई चेला नहीं हो सकता, जती शादी नहीं कर सकते, न ही उनके बाल-बच्चे हो सकते है। अतः उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 21-1-97 में उजरदार श्री केशरसिंह को एक नाजायज सन्तान बताया, जैन जती का कोई विधिवत चेला नहीं होना साबित होता। केशरसिंह के नाम कायमी हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि जैन जती (साधु) के कोई उत्तराधिकारी नहीं होते

है। केशर सिंह ने चेलानामा पेश किया जो मान्य नहीं है क्योकि श्री वल्लभविजय का वह विधिवत चेला होना साबित नहीं होता। उसने अपने आपकों जती द्वारा गोद लिया हुआ बेटा भी बताया है जो बेबुनियाद होकर निराधार है। केशर सिंह जैन जती का कोई चेला नहीं है न ही जती का उत्तराधिकारी है जिससे वह जती की सम्पत्ति का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं होने से यह अपील खारिज की जावे।

5- उभय पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जती वल्लभ विजय के लावारिस फौत होने की शिकायत दिनांक 19-10-73 को प्राप्त होने पर तहसीलदार गिर्वा ने प्रारम्भिक जांच की व जती वल्लभ विजय को लावारिस फौत होना माना। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान राजगामी संपत्ति विनियमन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-11-99 द्वारा जती वल्लभ विजय को लावारिस घोषित कर उनकी जायदाद को राजसात किये जाने हेतु पत्रावली जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर को प्रेषित करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर ने तहसीलदार गिर्वा से जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/3/73 दिनांक 24-2-76 द्वारा मि.नं. 3/73 लावारिस जती श्री वल्लभ विजय के लावारिस फौत होने की प्राप्त होने पर राजस्थान राजगामी संपत्ति विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर 30 दिन की अवधि का उजरदारी इश्तिहार दिनांक 20-3-76 को जारी करते हुये इसका नियमानुसार प्रकाशन कराया गया तथा ढोल द्वारा डूंडी पिटवाई गई और राजस्थान राजपत्र में इसका प्रकाशन करवाया गया। इश्तिहार राजस्थान राजपत्र दिनांक 6-5-76 के पेज नम्बर 64 व 65 पर प्रकाशित हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर ने प्राप्त उजरदारियों पर उजरदारी प्रस्तुतकर्ताओं को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर तथा

उपखंड अधिकारी गिर्वा से जांच रिपोर्ट दिनांक 27-1-97 प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर श्री केशरसिंह को जैन जती का चेला नहीं माना तथा न ही उसे उत्तराधिकारी माना। अध्यक्ष श्री जैन श्वेताम्बर महासभा ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि जती का कोई कोई चेला नहीं होने से उसकी संपत्ति लावारिस होकर राजगामी हो सकती है। इसी संपत्ति के संबंध में एवं इन्हीं जती श्री वल्लभ विजय जी के लावारिस की कार्यवाहीं चली थी। जिसमें तत्कालीन मेवाड़ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय श्री महेन्द्राज सभा द्वारा निर्णय हो चुका है और उस निर्णय के आधार पर यह मानना आवश्यक हो गया है कि जती के कोई चेला नहीं होने से सम्पत्ति लावारिस हो सकती है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर ने जती श्री वल्लभ विजय की जायदाद राजस्थान राजगामी सम्पत्ति विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लावारिस घोषित कर राजसात किये जाने हेतु पत्रावली जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उदयपुर को मय निर्णय की प्रति प्रेषित की है। इस खण्ड पीठ की सुविचारित राय में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर का निर्णय दिनांक 30-11-99 अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है जो पुष्टि किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

7- परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा) (हेमन्त कुमार गेरा)

सदस्य अध्यक्ष